# कार्यकारी-सार

वित्तीय वर्ष 2014-15 (वि.व 15) के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 189,038 करोड़ था और वि.व. 15 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 34.61 प्रतिशत था। जीडीपी के अनुपात के रूप में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में कमी आई हैं जबकि सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में, यह वि.व. 14 की तुलना में वि.व. 15 में बढा है।

इस प्रतिवेदन में ₹ 147.87 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 64 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग ने दिसम्बर 2015 तक ₹ 135.85 करोड़ राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था और ₹ 27.95 करोड़ की वसूली की सूचना दी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

**अध्याय I: राजस्व विभाग – केंद्रीय उत्पाद शुल्क**

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वि.व. 14 की तुलना में वि.व. 15 में 11.56 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई।

(पैराग्राफ 1.7)

- वि.व. 15 के दौरान, पेट्रोल और उच्च गति डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप न केवल पैट्रोलियम क्षेत्र से केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण में वृद्धि हुई बल्कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में समग्र रूप से भी वृद्धि हुई, पैट्रोलियम उत्पाद और प्लास्टिक को छोड़कर, अन्य क्षेत्र में राजस्व वृद्धि या तो स्थिर या नकारात्मक थी।

(पैराग्राफ 1.8)

- उत्पाद शुल्क के संबंध में वि.व.15 में छोड़ा गया राजस्व ₹ 1,84,764 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹ 1,77,680 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूट के रूप में ₹ 17,284 करोड़) था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 97.74 प्रतिशत था।

पैराग्राफ (1.11)

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की ₹ 81,538 करोड़ की विशाल राशि अपीलों में अवरूद्ध थी। राशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। बोर्ड द्वारा उठाए गये कई कदमों के बावजूद, इतने अधिक राजस्व का अवरोधन चिंता का विषय है।

पैराग्राफ (1.18)

**अध्याय II: एसएसआई इकाइयों के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट**

- चयनित रेंजों में एसएसआई इकाइयों के रूप में पंजीकृत निर्धारितियों के 50 प्रतिशत से कम एसएसआई छूट का वास्तव में लाभ उठा रहे हैं। मध्यवर्ती माल के एसएसआई विनिर्माताओं को योजना से लाभ नहीं मिल रहा है।

पैराग्राफ (2.5)

- 11 मामलों में, ₹1.83 करोड़ की राशि की एसएसआई छूट की अधिक प्राप्ति देखी गई।

पैराग्राफ (2.7.2)

**अध्याय III: महानिदेशक लेखापरीक्षा और उनकी क्षेत्रीय इकाइयों की कार्यप्रणाली**

- वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन में गुणवत्ता आश्वासन समीक्षा (क्यूएआर) प्रतिवेदनों की तुलना में आंकड़ो में अंतर था, जिससे प्रकाशित आंकड़ो की सटीकता पर संदेह उत्पन्न होता है।

पैराग्राफ (3.6.6)

- 2011-12 और 2012-13 के दौरान, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में 22 और 29 कमिश्नरियों और सेवा कर के संबंध में 18 और 21 कमिश्नरियों में ग्रेडिंग पूर्व वर्ष की तुलना में कम थी, जो आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्पादन में कमी दर्शाती है।

पैराग्राफ (3.6.10)

**अध्याय IV: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और सीमा शुल्क में कर लेखांकन एवं मिलान**

- 41 कमिश्नरियों (केन्दीय उत्पाद शुल्क), 39 कमिश्नरियों (सेवा कर) और नौ कमिश्नरियों (सीमा शुल्क) में कोई मिलान नहीं किया जा रहा था और जिसके परिणामस्वरूप इन कमिश्नरियों से संबंधित क्रमशः ₹ 2,36,295 करोड़, ₹ 3,01,436 करोड़ और ₹ 82,224 करोड़ का राजस्व 2011-12 से 2013-14 की अवधि के लिये मिलान किए बिना पड़ा रहा।

पैराग्राफ (4.2.1.1(i),4.4.1.1(i) और 4.6.1.1)

- ब्याज दर, जिस पर सरकारी राजस्व के विलंबित प्रेषण के लिये बैंक से ब्याज लिया जाता है, का संशोधन आरबीआई द्वारा संशोधित की गई बैंक दर के अनुसार प्रधान सीसीए, सीबीईसी द्वारा नहीं किया जा रहा था और प्रणाली द्वारा 13 फरवरी 2012 से ब्याज की गणना कम दर पर की जा रही थी।

पैराग्राफ (4.2.4(क))

**अध्याय V: कारण बताओ नोटिस जारी करना और अधिनिर्णय प्रक्रिया**

- संविधि का उल्लंघन करते हुये गलत आधार पर एससीएन की अवधि बढ़ाने के परिणामस्वरूप ₹ 4.40 करोड़ के राजस्व वाले 20 मामलों में अधिनिर्णय में एससीएन काल बाधित हो गये।

पैराग्राफ (5.5.1)

- ₹ 2.28 करोड़ के राजस्व वाले आठ मामलों में, एससीएन विलंब से जारी किये गये जिससे मांग काल बाधित हो सकती है।

पैराग्राफ (5.5.2)

- कॉल बुक में रखे गए मामलों की समीक्षा नहीं की जा रही थी और ₹ 29.76 करोड़ के आर्थिक निहितार्थ वाले 121 मामले काल बुक में गलत रूप से रखे थे।

पैराग्राफ (5.9.2)

**अध्याय VI: नियमों और विनियमों का अननुपालन**

- हमने सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ और उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के गैर/कम भुगतान के 26 मामले देखे जिनमें ₹ 98.79 करोड़ का राजस्व शामिल था।

पैराग्राफ (6.1)

**अध्याय VII: आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता**

- हमने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियों और अन्य विषयों के 34 मामलें देखे जिनमें ₹ 32.76 करोड़ का राजस्व शामिल था।

पैराग्राफ (7.2)